कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 4816 / नातौ / अ–1 / 2006, भोपाल दिनांक 15.11.06

संशोधन

कार्यालयीन निर्देश क्रमांक 4275 / अ–1(1) / 06 दिनांक 29.9.06 में द्वितीय पैरा में टंकण त्रुटि होने के कारण प्लेटों के पहले केवल शब्द टंकित होने से रह गया था अतः अब द्वितीय पैरा निम्नानुसार पढ़ा जावें :–

अतः 01.10.06 से (डी / 06) केवल प्लेटों पर मुद्रांकन किया जाना प्रतिबंधित किया जाता है कि एवं इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन व प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जावें।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रायः प्लेटों पर मुद्रांकन का प्रावधान निर्माता द्वारा दिया जा रहा है एवं प्लेटों को भी मशीन में इस तरह से वायर लेड से सील किया जावे कि तौल यंत्र की प्लेट को लेड वायर सील तोडे बिना तौल यंत्र से हटाया नहीं जा सके जिससे एक तौल यंत्र की मुद्रांकित प्लेट को हटाकर इसका दुरूपयोग न किया जा सके।

ज्ञापन दिनांक 29.9.06 में दिये अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जावें।

नियंत्रक
नाप तौल म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 4817 / नातौ. / अ–1(1) / 06 भोपाल दिनांक 15.11.06

प्रतिलिपि :–

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक / निरीक्षक नाप तौल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. समस्त निर्माता / विक्रेता / सुधारक / अनुज्ञप्तिधारियों की ओर निर्देशों के पालनार्थ भविष्य में इलेक्ट्रानिक तौल माप उपकरण निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था कर सत्यापन / पुनः सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।

नियंत्रक
नाप तौल म.प्र. भोपाल